

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर
व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

केशाराम

पुत्र श्री सुनील

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 195/2024

-:आदेश :-

दिनांक :- 8/10/2024

प्रार्थी

केशाराम

पुत्र श्री सुनील

जाति..... मांकी निवासी तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम
दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा
को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें
तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम की
जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता सं. 487 में दर्ज अशुद्ध
नाम केशाराम पुत्र सुनील जाति..... मांकी
निवासी : का शुद्ध नाम केशाराम
पुत्र सुनील जाति..... मांकी निवासी की राजस्व रेकर्ड
में शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का
अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा